न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धोद मु० सीकर
लक्ष्मणसिंह V/s TDR धोद

प्रा.पत्र अ.धा. 136 एलआर एक्ट मु.सं. 58/2020 उनवान लक्ष्मणसिंह बनाम तहसीलदार

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
19.02.2021	पत्रावली पेश हुई। उपस्थित वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि ग्राम ढाणी ताखरान तहसील धोद के खसरा सं. 434/1 रकबा 0.4100 हेक्टेयर, खसरा सं. 735/1076 रकबा 0.2300 हेक्टेयर, खसरा सं. 897/1 रकबा 1.5100 हेक्टेयर, खसरा सं. 969/1 रकबा 0.6900 हेक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा 2.84 हेक्टेयर के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का लिखमाराम पुत्र कुम्हा अंकित है। जबकि प्रार्थी का सही नाम लक्ष्मणसिंह पुत्र कुम्भाराम है। प्रार्थी के आधार कार्ड, राशन कार्ड, 10वीं की अंकतालिका आदि दस्तावेजों में प्रार्थी का सही नाम लक्ष्मणसिंह पुत्र कुम्भाराम अंकित है। अतः राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम लिखमाराम पुत्र कुम्हा के स्थान पर लक्ष्मणसिंह पुत्र कुम्भाराम दुरूस्त किया जावें। तहसीलदार, धोद से प्रकरण के संबंध में रिपोर्ट प्राप्त, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्रार्थना–पत्र मय रिपोर्ट आदि का अवलोकन किया। तहसीलदार, धोद ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया है कि "ग्राम ढाणी ताखरान के खसरा सं. 434/1, 735/1076, 897/1, 969/1 कुल किता 4 कुल रकबा 2.84 हेक्टेयर में प्रार्थी ने अपना नाम लिखमाराम पुत्र कुम्हा के स्थान पर लक्ष्मणसिंह पुत्र कुम्भाराम शुद्ध करने का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है। आधार कार्ड, राशन कार्ड, सैकण्डरी स्कूल की अंकतालिका में आदि दस्तावेजों में प्रार्थी का नाम लक्ष्मणसिंह पुत्र कुम्भा अंकित है। ग्राम आंतरी के खाता सं. 127 सम्वत् 2076–79 में प्रार्थी का नाम लक्ष्मणसिंह पुत्र कुम्भा दर्ज है। ग्रामीणों से पूछताछ में भी प्रार्थी का सही नाम लक्ष्मणसिंह पुत्र कुम्भाराम बताया गया। उक्त दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थी का नाम लक्ष्मणसिंह पुत्र कुम्भाराम शुद्ध किया जाना उचित है।" अतः मुताबिक तहसीलदार, धोद की रिपोर्ट, प्रस्तुत समस्त दस्तावेजों के अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाना उचित है। अतः तहसीलदार, धोद की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम ढाणी ताखरान तहसील धोद के खसरा सं. 434/1 रकबा 0.4100 हेक्टेयर, खसरा सं. 735/1076 रकबा 0.2300 हेक्टेयर, खसरा सं. 897/1 रकबा 1.5100 हेक्टेयर, खसरा सं. 969/1 रकबा 0.6900 हेक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा 2.84 हेक्टेयर के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम लिखमाराम पुत्र कुम्हा के स्थान पर लक्ष्मणसिंह पुत्र कुम्भाराम दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। यदि भूमि पर किसी तरह की सरकारी, गैर सरकारी बकाया एवं ऋण देय हो तो उसके निर्वहन एवं अदायगी के लिए प्रार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। तहसीलदार, धोद की रिपोर्ट निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। पालनार्थ तहसीलदार, धोद को लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हों। उपखण्ड अधिकारी धोद मु. सीकर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Mithlesh Kumar
Date: 2021.02.26 16:17:12 IST
Reason: SelfAttested